A1/20

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 39/2014

प्रार्थीगण *बनाम* **अप्रार्थीगण**

1.रामुराम पुत्र पन्नाराम
2.तीजूदेवी पत्नि पन्नाराम
3.कानाराम पुत्र रूपाराम
4.टीकूराम पुत्र कानाराम
5.रिद्वाराम पुत्र कानाराम
6.बोदूराम पुत्र कानाराम
7.गोपाल पुत्र कानाराम
जाति जाट निवासीगण जिलिया
तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

1.मुनाराम चौधरी पुत्र चुनीलाल चौधरी
2.रामस्वरूप चौधरी पुत्र चुनीलाल चौधरी
3.बाबुलाल चौधरी पुत्र चुनीलाल चौधरी
4.रवि चौधरी पुत्र चुनीलाल चौधरी
जाति जाट निवासीयान तकिया की चौकी
कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा,जयपुर– राज.
5.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार
कुचामनसिटी जिला नागौर राज. भूमिधारी

प्रार्थना–पत्र रास्ता दिलवाने अन्तर्गत धारा 251(ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
श्री हरदेवसिंह चौधरी अप्रार्थीगण 1 से 4 की ओर से ।

आदेश

दिनॉक :– 26/6/2015

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 267 रकबा 1.53 हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 270 रकबा 2.79 हैक्टर बारानी, 271 रकबा 2.42 हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 272 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.15 हैक्टर गै.मु. ढ़ाणी कुल रकबा 6.91 हैक्टर मे प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है तथा यहा कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन करते है यहा पर प्रार्थीगण के रहवासी मकान एवं पशुओ के लिये ठोर बने हुये है मगर प्रार्थीगण के आवागमन हेतु कोई सरकारी/कटाणी रास्ता उपलब्ध नही है । उक्त कृषि भूमि का उत्तरी तरफ का भाग ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 270 की भूमि है तथा उक्त ख.न. 270 के दक्षिणी तरफ हमारी खसरा नम्बर 271 से 273 आदि की भूमि है । प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि 270 के उत्तरी तरफ सींवा जोड़ ही खसरा नम्बर 234 की कृषि भूमि स्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर 234 के उत्तरी तरफ सींवा जोड़ ही खसरा नम्बर 233 की कृषि भूमि स्थित है एवं उक्त खसरा नम्बर 233 की भूमि के उत्तरी तरफ सरकारी/कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 226 है जो ग्राम जिलिया से चारणवास आवागमन का चालू कटाणी आम रास्ता सम्पर्क सड़क है । ग्राम जिलिया के उक्त खसरा नम्बर 234 की भूमि रकबा 3.49 हैक्टर व खसरा नम्बर 233 की भूमि रकबा 1.82 हैक्टर कुल रकबा 5.31 हैक्टर की कृषि भूमि के अप्रार्थीगण 1 से 4 काबिज खातेदार काश्तकार है । प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि तक आवागमन हेतु कोई सरकारी/कटाणी रास्ता ना होने के कारण प्रार्थीगण को अपनी उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य करने हेतु आवगमन में भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

..........2..........

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A 2/21

अप्राथीगण चाहे जब तो उनकी उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 233 व 234 की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे प्राथीगण को आवागमन की इजाजत दे देते है व चाहे जब इधर से आवागमन करने से रोक देते है । प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 233 व 234 की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे देने का बार बार निवेदन किया गया मगर वा आनाकानी करते रहते है, प्रार्थीगण को उपरोक्त कृषि भूमि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 270 तक आवागमन हेतु ट्रेक्टर, गाड़ी मवेशी आदि लाने ले जाने हेतु 5 मीटर चौड़े रास्ते की जरूरत है । जिसका नजरी नक्शे में लाल रंग की लाईनो के बीच बताया गया है । उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु प्रार्थीगण के अन्य कोई रास्ता नही है । जिसके लिये वांछित रास्ता की भूमि के बदले में कानूनी प्रावधानो के अनुसार तय की जाने वाली मुआवजा राशि अप्रार्थीगण को अदा करने को प्राथीगण तैयार है । प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि प्रार्थीगण की खातेदारीशुदा कब्जाशुदा कृषि भूमि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 270 तक आवागमन हेु पांच मीटर चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण ,अप्रार्थीगण 1 से 4 की खातेदारीशुदा कृषि भूमि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 233 व 234 की भूमि मे से , उक्त खसरा नम्बर 233 व 234 की पश्चिमी सींव के साथ साथ चलना हुआ उक्त खसरा नम्बर 233 व 234 की सम्पूर्ण पश्चिमी सींव की लम्बाई के बराबर लम्बाई का दिलाया जावे व यह रास्ता ग्राम जिलिया से चारणवास आवागमन के कटाणी रास्ता सम्पर्क सड़क से शुरू होकर जिलिया के उपरोक्त खसरा नम्बर 233 व 234 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा में चलता हुआ, उक्त खसरा नम्बर 233 व 234 की भूमि में उत्तर से दक्षिण दिशा म ेचल कर प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 270 की भूमि में उक्त खसरा नम्बर 270 की उत्तरी सींव पर प्रवेश करेगा, इस पांच मीटर चौड़े रास्ते मे जो भूमि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 233 व 234 मे से काम आयेगी उस रकबा को संबंधित खसरा नम्बर 233 व 234 के खातेदार अप्रार्थीगण 1 से 4 की खातेदारी मे से कम कर दिया जावे तथा इस रास्ता की भूमि को राजकीय खाते मे "रास्ता" के रूप मे दर्ज कर दिया जावें तथा इस रास्ते को सम्बन्धित राजस्व नक्शा में तरमीम कर जमाबन्दी मे दर्ज करने व रेकार्ड दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश प्रदान करावे । जिलिया के उपरोक्त खसरा नम्बर 233 व 234 की भूमि की पश्चिमी सींव के साथ साथ कायम होने वाला यह रास्ता सरकारी खाते मे ही रहे व सदैव आमजन के उपयोग हेतु खुला रहें ।

प्रार्थीना –पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया । अप्रार्थीगण 1से 4 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित । जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया । शामिल मिसल उपलब्ध है । अप्रार्थी संख्या 5 ने मौका स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की । जो शामिल मिसल उपलब्ध है । अप्राथीगण 1 से 4 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 267,270,271,272,273 मे प्रार्थीगण की कृषि भूमि स्थित चली आ रही है जिस पर कौन काबिज खातेदार है इसकी अप्रार्थीगण को जानकारी नही है । उपरोक्त भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपरोक्त खसरान के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 268 व 269 में होकर सरकारी कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 1414/234 व खसरा नम्बर 1413/233 से होकर मुख्य सड़क जिलिया से चारणवास जाने वाली सम्पर्क सड़क में मिल जाता है जो मौके पर मौजूद है । जब उपरोक्त कृषि भूमि मे आने जाने के लिए प्रार्थीगण के पूर्वी तरफ जब मौके पर कटाणी रास्ता मौजूद हो तो पुनः उपरोक्त खसरा नम्बर 233 व 234 में से प्रार्थीगण दूसरा नया रास्ता कानूनन प्राप्त नही कर सकते क्योकि अप्रार्थीगण ने पूर्व में ही अपनी खातेदारी एवं कब्जाशुदा कृषि भूमि मे से कटाणी रास्ते हेतु उपरोक्त खसरा नम्बर 233,234 व 1412/233 के पूर्वी तरफ अपनी खातेदारी की भूमि मे से कटाणी रास्ते हेतु भूमि देने के उपरान्त अप्रार्थीगण की भूमि मे से कटाणी रास्ते की भूमि के खसरा नम्बर 1413/233 1414/234 कायम हुए और उक्त कटाणी रास्ता मौके पर मौजूद है उक्त रास्ता का मौका रिपोर्ट मे पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A3/22

हल्का एवं तहसीलदार कुचामनसिटी ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन नही किया तथा तथ्यो को छिपाकर गलत रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत की । कानूनन किसी भी खातेदार व काश्तकार के खेत मे से जब कोई कटाणी रास्ता मौजूद हो तो उसके अलावा अन्य कोई कटाणी रास्ता कायम नही किया जा सकता । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । अवलोकन से तहसीलदार कुचामन की रिपोर्ट एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश कर एतराज करने पर रिपोर्ट पुनः मंगवाई गई । तहसीलदार कुचामन ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम जिलिया के प्रार्थी रामूराम वगैरह के खसरा नम्बर 233,234 की पश्चिमी सीव के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ाई में रास्ता की जमीन प्रार्थी द्वारा मांग की ग्राम जिलिया से चारणरवास जाने वाली सड़क से लगता हुआ खसरा नम्बर 233 मे 120 मीटर व 234 मे 116 मीटर लम्बाई एवं चौड़ाई 5 मीटर कुल 236 X 5 =1180 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के उपयोग के लिये खसरा नम्बर 270 मे जाने हेतु खसरा नम्बर 233 234 के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है । खसरा नम्बर 1413/233 व 1414/234 भूमि खातेदारो के खातेदारी की है। जो खातेदार अपने स्वयं के रास्ते के काम में ले रहे है । कटाणी रास्ता नही है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण का जवाब तहसीलदार कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट आदि का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय का मत है कि तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट से प्रार्थी के खेत में जाने का एक मात्र यही रास्ता होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है ।

आदेश

ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 270 मे आवागमन प्रार्थी के आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 233, 234 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे 5 मीटर चौड़ा एवं 236 लम्बाई अर्थात (236 X 5 =1180 वर्ग मीटर) रास्ता कटाणी सरकारी कायम किया जाता है । डी.एल.सी दर 292000/–रूपये प्रति हैक्टर से 1180 वर्गमीटर की कीमत 34456/–रूपये होती है जिसका दो गुणा 68912/– रूपये प्रार्थीगण द्वारा बैंक मे डीडी/बैंक ड्राफट जमा कराकर रसीद पेश करने पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो । अप्रार्थीगण उक्त राशि एक माह के अन्दर न्यायालय मे उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवें । मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनॉक 26/6/2015 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी एवं ... कुचामन सिटी (नागौर)